



## ‘भाषा सर्टफिकेट सेल्फी’ अभियान

शिक्षा मंत्रालय ने [एक भारत श्रेष्ठ भारत \(EBSB\)](#) के तहत ‘भाषा सर्टफिकेट सेल्फी’ अभियान का शुभारंभ किया है।

- वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय ने EBSB के तहत [भाषा संगम पहल \( Bhasha Sangam initiative\)](#) शुरू की।

### प्रमुख बंदि

- ‘भाषा सर्टफिकेट सेल्फी’ सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने तथा ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना का प्रसार करने के लिये शुरू किया गया है।
- इसका उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और MyGov India द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल एप को बढ़ावा देना है।
  - भाषा संगम मोबाइल एप को [राष्ट्रीय एकता दिवस, 2021](#) (31 अक्टूबर) के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल हासिल कर सकें। इसके तहत 75 लाख लोगों द्वारा बुनियादी संवाद कौशल हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
- ‘भाषा सर्टफिकेट सेल्फी’ की यह पहल लोगों को अपने सोशल मीडिया एकाउंट से हैशटैग #BhashaCertificateSelfie का उपयोग करके सर्टफिकेट के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिये प्रोत्साहित कर रही है।

### भाषा संगम पहल:

- यह 22 भारतीय भाषाओं ([आठवीं अनुसूची की भाषाएँ](#)) के दैनिक उपयोग के बुनियादी वाक्य सखाने के लिये एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।
- इसे राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा विकसित किया गया है।
- इसके पीछे यह विचार है कि लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा में बुनियादी बातचीत का कौशल हासिल करना चाहिये।
  - यह [दीक्षा \(DIKSHA\)](#), [ईपाठशाला \(ePathshala\)](#) और 22 पुस्तकियों के माध्यम से उपलब्ध है।

### एक भारत श्रेष्ठ भारत’ पहल:

- इसे वर्ष 2015 में विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया था ताकि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच आपसी समझ और बंधन को बढ़ाया जा सके, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी।
- यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।
- देश के प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को एक समयावधि के लिये दूसरे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके दौरान लोग भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि क्षेत्रों में एक-दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान कर लाभान्वित होंगे।

### संवधान की आठवीं अनुसूची:

- आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान [संवधान के अनुच्छेद 344 \(1\) और 351](#) में नहित हैं।
- आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएँ हैं:
  - (1) असमिया, (2) बांग्ला, (3) गुजराती, (4) हंदि, (5) कन्नड़, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, (9) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) नेपाली, (12) उडिया, (13) पंजाबी, (14) संस्कृत, (15) संधि, (16) तमिल, (17) तेलुगु, (18) उर्दू (19) बोडो, (20) संथाली, (21) मैथिली और (22) डोगरी।
- इन भाषाओं को [संवैधानिक संशोधनों](#) के माध्यम से जोड़ा गया है।

स्रोत: पी.आई.बी.

